लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील संख्या – 25/2025
जी.सी.एम.एस. सं. 2025/105

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री जयन्तिलाल भट्ट पिता श्री उम्मेदराम भट्ट मु.पो. बडौदिया तह. बागीदौरा जिला बांसवाडा मो.नं. 9784454380	बनाम	तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– **16–07–2025**

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **10–01–2023** पर **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा** द्वारा सूचना उपलब्ध कराने पर प्राप्त सूचना से असन्तुष्ट होने के कारण अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **02–07–2025** को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक **15–07–2025** को प्रत्यर्थी **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा** ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सूचना प्रश्नात्मक होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक विविध/ 2025/ 148 दिनांक 04.07.2025 से अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है। अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

अपीलार्थी का नोटिस बाद तामील [illegible] हुआ, [illegible] अनुपस्थित है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा** के जवाब एव उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराये गये पत्र का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:21:21 IST
Reason: Self Attested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक **10–01–2023** से 1 बिन्दु पर सूचना चाही गई है कि " कृषि भूमि को आबादी या कॉमर्शियल उद्देश्य में संपरिवर्तन करते समय कितने प्रतिशत भूमि श्री सरकार समर्पित की जाती है तथा समर्पित भूमि किस उद्देश्य हेतु की जाती है उक्त संपरिवर्तन प्रकरणो में इण्डियन रोड कॉग्रेस के मापदण्डो से प्रभावित भूमि समर्पण के पश्चात् रास्ते या सडक के नाम रिकार्ड जमाबन्दी में भूमि अंकित या दर्ज नही की जाती है अवगत करावे तथा रास्ते व सडक के नाम समर्पित भूमि दर्ज की जावेगी की सूचना उपलब्ध करावे।" **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा** के जवाब अनुसार सूचना प्रश्नात्मक होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक विविध/ 2025/ 148 दिनांक 04.07.2025 से अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है।

रेस्पोडेंट **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा** द्वारा प्रार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10.01.2023 पर लगभग ढाई वर्ष व्यतित हो जाने के उपरान्त प्रार्थी को सूचना से अवगत कराया है। जो अत्यंत खेदजनक है। **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा** इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना का अवलोकन करने पर चाही गई सूचना विस्तृत, प्रश्नात्मक, आदेश/विशिष्ठि (विवरण) रहित है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(B) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **16–07–2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:21:21 IST
Reason: SelfAttested